BFFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IA NO. 587 of 2025
IN
APPEAL NO. 57 of 2025

IN THE MATTER OF:

Devesh Kumar Verma …Appellant

Versus

Environment, Forest and Climate Change,
Department (DOEFCC), Govt. of U.P. & Ors. …Respondent(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Response on behalf of the Respondent no.-2, Uttar Pradesh Pollution Control Board, in compliance to the order dated 04.09.2025 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi	1-8
2.	**ANNEXURE-R2/1** A true copy of the report dated 18.09.2023 and revocation order 18.09.2023	9-12
3.	**ANNEXURE-R2/2** A true copy of the inspection report dated 14.10.2025	13-17
4.	**ANNEXURE-R2/3** A copy of the Google Map showing distance of habitation, school etc.	18
5.	**ANNEXURE-R2/4** A copy of the order dated 08.01.2026	19-20
6.	**ANNEXURE-R2/5** A true copy of the CTO disposal dated 20.01.2026	21-22

THROUGH

DATE: 12.02.2026
PLACE: NEW DELHI

STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR UPPCB
C-9, SECTOR 50, NOIDA,
UTTAR PRADESH-201303
(M): 9711116034
(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM

21557 12 Feb 2026
S. No.

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IA NO. 587 of 2025
IN
APPEAL NO. 57 of 2025

IN THE MATTER OF:

Devesh Kumar Verma **...Appellant**

Versus

Environment, Forest and Climate Change,
Department (DOEFCC), Govt. of U.P. & Ors. **...Respondent(s)**

RESPONSE ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.-2, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 04.09.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I, Rohit Singh aged about 53 Year S/o Shri N. C. Sachan presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter "UPPCB), Varanasi, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

नोटरी भारत सरकार
उदयकृष्ण चतुर्वेदी
U. K. Chatuvedi
रजि०नं०-13373/17
12 Feb, 2026
NOTARY GOVT OF INDIA

3. That the Appellant has filed the present Appeal wherein following prayer is made:

(a) Hon'ble this Tribunal may quash and set aside the impugned order dated 23.07.2025 (annexure No.-A-1) passed by Respondent No.1.

(b) Hon'ble this Tribunal direct the respondent(s) authorities for immediate shifting of the M/s Shiv Shakti Traders/Respondent No.4, which is currently located and operational in densely populated area/census village.

(c) Hon'ble this Tribunal may direct for constitution of high-powered committee to examine the matter as well as the inspection of industry i.e. M/s Shiv Shakti Traders (Respondent No.4).

(d) Hon'ble this Tribunal may direct Respondent No.2 i.e. Member Secretary, UPPCB to impose fine in the form of environmental compensation on the respondent no.4 i.e. (M/s Shiv Shakti Traders), for causing damage to the environment and local population for the period they have no CTE (Consent to Establish) or CTO (Consent to Operate) under Air Act, 1981 and Water Act, 1974.

(e) Hon'ble this Tribunal may pass any other, further order in the interest of the justice which this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper.

नोटरी भारत सरकार
उदयकृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
रजि०नं०-13373/17
12.09.25
NOTARY GOVT OF INDIA

4. That the present matter was taken up on 04.09.2025, when this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter Hon'ble Tribunal) upon considering the matter was pleased to pass the following order:

> 1. *By this Appeal filed under Section 18(1) read with Section 16 of the National Green Tribunal Act 2010. Appellant has challenged the appellate order dated 23.07.2025, whereby the appeal against the original order dated 04.02.2025 has been allowed.*
> 2. *There is a delay in filing this appeal, therefore, I.A. No. 587/2025 has been filed seeking condonation of the delay.*
> 3. *Issue notice of I.A. No. 587/2025 to the respondents. The appellant is directed to serve the respondents and file affidavit of service.*
> 4. *List on 24.11.2025.*

5. That further on the next date fixed i.e. 24.11.2025 this Hon'ble Tribunal vide its order was pleased to adjourn the present matter on the request of the counsels for the respondents.
6. That the present Appeal is time barred as it was filed beyond the statutory period of 30 days as mandated by Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010. The Appellant has not provided any satisfactory explanation for the delay in filing the appeal through his application being I.A. No. 587/2025 seeking condonation of the delay.
7. That the factual conspectus surrounding the present appeal is as follows:

   i. That as per the office record the industry at very first had applied online application dated 02.01.2018 which was rejected by the UPPCB on 01.02.2018 on account of incomplete information being provided in the application.

   ii. That the industry has again applied online application for consent on 31.03.2022. Upon considering the application and

नोटरी भारत सरकार
उदयकृष्ण चतुर्वेदी
U. K. Chaturvedi
रजि०नं०-13373/17
12.01.26
NOTARY GOVT OF INDIA

deficiencies found in the application, the application was again been rejected on 13.04.2022 by the UPPCB.

iii. That the industry had again applied online application for consent on 06.02.2023. For disposal of application, site inspection of the industry was conducted by the UPPCB on 13.02.2023. During the course of an inspection, a boiler of 4.0 tonne/hour steam generation capacity was found installed in the industry and steam rice was found to be produced by the industry. Due to non-availability of land use certificate, details of water and air pollution control system, audited balance sheet for verification of consent fee, arrangement for disposal of ash and information regarding establishment of the industry, the CTO application was again refused by the UPPCB vide letter dated 03.03.2023.

iv. That further Shri Kanhaiya Gupta, proprietor of the industry was submitted a notarized affidavit before the UPPCB on 31.07.2023 and requested that the industry is established and operating in Arazi No. 129, 130, 131 and 132, Village-Ichhali, Post-Tadwa, Tehsil Muhammadabad, District-Gazipur since 2002. It is further stated in the affidavit that it is not possible to immediately transfer location of industry and the industry should be given an additional time of one year for operation. Within the said period, for shifting the industry, an environmentally appropriate site should be selected and the process can be completed by obtaining No Objection Certificate/Permission from the concerned departments. The operation of the industry will be operated only after obtaining valid consent (water and air) from the State Board.

v. That in pursuance to the above the UPPCB vide letter dated 10.08.2023 has provided a 06-month time to shift the industry to any other site with instructions that at the new site any

नोटरी भारत सरकार
उदयकृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
रजि०नं०-13273/17
12-02-26
NOTARY GOVT OF INDIA

development and installation of plant machinery shall be made only after obtaining No Objection Certificate from the UPPCB

vi. That the industry has again applied online application for CTO. In continuation to the previous inspection of the site 24.07.2023 and 27.05. 2023 and the facts given in the inspection report as well as the instructions issued by the UPPCB vide letter dated 10.08.2023, the consent under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 with general and specific conditions for the period from 03.08.2023 to 02.02.2024 was issued to the industry.

vii. That the UPPCB issued direction vide letter No. 1508/Shiv Shakti Traders/23-24, dated 06.09.2023 to the industry for submitting point-wise compliance report of the conditions imposed in the conditional CTO.

As per office records, the industry has not submitted reply of letter dated 06.09.2023. Keeping in view above facts and the recommendation dated 18.09.2023 of committee (constituted at the regional office level) the consent order issued vide online letter No. 190546, dated 11.08.2023 under Water Act and Air Act, was cancelled vide letter No. 1557/Consent/Shiv Shakti Traders/23-24, dated 18.09.2023.

A true copy of the report dated 18.09.2023 and revocation order 18.09.2023 is collectively being annexed herewith and marked as **Annexure-R2/1**.

नोटरी भारत सरकार
उदयकृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chatuvedi
रजि०नं०-13273/17
12-03-20
NOTARY GOVT OF INDIA

viii. That the concern industry has filed an Appeal under Section-31 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (as amended) and Section-28 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (as amended) before the Appellate Authority/Special Secretary, Environment, Forest and Climate

Change Department, Government of Uttar Pradesh, vide Appeal No. 16/2025 (Kanhaiya Gupta vs. Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow and others). The said appeal is allowed by the Appellate Authority/Special Secretary vide its order dated 23.07.2025, which is already been contained as annexure A-1 of the present Appeal.

ix. That the UPPCB has been issued Show Cause Notice vide letter no.-H01468/C-6/Sa-779/Ghazipur/2023, dated 04.10.2023 against the industry M/s Shiv Shakti Tredars, Arazi No.-129, 130 & 132, Village-Ichauli, Post-Tandawa, Tehsil-Muhammdabad, District-Ghazipur under Section-31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

x. That the UPPCB had constituted the 03 members joint committee vide order no. 29/Chaiman camp/2024, dated 02.05.2024. Joint committee had carried out an inspection on 06.05.2024 of industry i.e. M/s Shiv Shakti Tredars, Arazi No.-129, 130 & 132, Village-Ichauli, Post-Tandawa, Tehsil-Muhammdabad, District-Ghazipur.

xi. That on the basis of joint committee report dated 06.05.2024, UPPCB has been issued closure order vide letter no. H23734/C-6/Sa-779/Bandi Adesh/Varanasi/2024 dated 04.02.2025 against the industry M/s Shiv Shakti Tredars, Arazi No.-129, 130 & 132, Village-Ichauli, Post-Tandawa, Tehsil-Muhammdabad, District-Ghazipur. A copy of the Closure Order has already been contained as annexure A-6 of the present Appeal.

xii. That in continuation to the above the District Magistrate, Ghazipur had constituted a joint committee vide letter no. 2430/M/s Shiv Shakti Tredars/24-25, dated 10.02.2025 for

नोटरी भारत सरकार
उदयकृष्ण चतुर्वेदी
U. K. Chatuvedi
रजि०नं०-13273/17
12.02.26
NOTARY GOVT OF INDIA

compliance of closure order issued by UPPCB and joint committee sealed the industry on date 20.02.2025.

xiii. That again on 14.10.2025 the UPPCB has carried out an inspection of industry. During inspection industry was found closed and non-operational.

A true copy of the inspection report dated 14.10.2025 is being annexed herewith and marked as **Annexure-R2/2**.

xiv. During inspection it is found that concern industry establishes on GPS location 25.653578 Latitude and 83.737055 Longitude. Yusufpur-Kasimabad Road is located on the east side of the industrial site and at a distance of about 70 meters, Composite School, Ichauli, (established year 1971) is located. On the adjacent of west side of the industry, house of Shri Bigan Thakur and pond then about 50 meters, the population of village Ichauli situated. On the north side of the industry, the residential house of the industry owner and the population of village Ichauli is situated at a distance of about 50 meters. On the south side of the industry, at a distance of about 15 feet, the rural road and then the population of village Ichauli is located.

A copy of the Google Map showing distance of habitation, school etc. is being annexed herewith as is being annexed herewith and marked as **Annexure-R2/3**.

xv. That the unit has applied CTO application no.-33424081 dated 22.09.2025 in green category through online, which was disposed by the UPPCB on 20.01.2026 in compliance to the order dated 08.01.2026 passed by Hon'ble High Court Allahabad in the matter of Writ Petition (C) No. 124 of 2026, M/s Shiv Shakti Traders and Another versus State of U.P. and 2 Others.

नोटरी भारत सरकार उदयकृष्ण चतुर्वेदी U.K. Chaturvedi रजि०नं०-13373/17 12.02.26 NOTARY GOVT OF INDIA

A copy of the order dated 08.01.2026 and CTO disposal dated 20.01.2026 is being annexed herewith and marked as **Annexure-R2/4** and **Annexure R2/5,** respectively.

8. That it is humbly submitted before this Hon'ble Tribunal that all the requisite actions are being taken to ensure compliances with the directions issued by this hon'ble Tribunal.

9. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

That the present affidavit on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at _____________ on this the ___ day of February, 2026 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

नोटरी भारत सरकार
उदयकृष्ण चतुर्वेदी
U. K. Chatuvedi
रजि०नं०-13373/17
12.02.26
NOTARY GOVT OF INDIA

Notarial Affidavit
पंजीयन / Registratio
क्र०सं०/Sr. No. 2155
दि०/Dt. 12.02.26
स्थान/Place Civil Court Varanasi UP
एड०/Adv. Self
By Uday Krishna Chaturvedi
एड०Adv. दि०क० T
CVUP 12 Feb 2026.

Annexure-R2/1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ सं0/Ref.No. 1557 | सहमति | शिव शक्ति ट्रेडर्स | 23-24 दिनांक 18-9-23

सेवा में, पंजीकृत डाक द्वारा

मैसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स,
ग्राम-इचौली, पो0-टड़वा, तहसील-मुहम्मदाबाद,
जनपद-गाजीपुर।

विषयः- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत जारी सहमति (जल एवं वायु) आदेश दिनांक 11.08.2023 को रिवोक/निरस्त किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 1500/शिव शक्ति ट्रेडर्स/23-24, दिनांक 06.09.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो पंजीकृत डाक द्वारा उद्योग को दिनांक 06.09.2023 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। आपको सूचित करना है कि आपके सी0सी0ए0 आवेदन पत्र दिनांक 03.08.2023 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के पत्र सं0 190546/UPPCB/Varanasi(UPPCB RO)CTO/Both/Ghazipur/2023, दिनांक 11.08.2023 के माध्यम से दिनांक 03.08.2023 से दिनांक 02.02.2024 तक की अवधि हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत उद्योग को सशर्त सी0टी0ओ0 आदेश निर्गत किया गया है। उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत सी0टी0ओ0 आदेश दिनांक 11.08.2023 में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सुसंगत साक्ष्यों/दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था तथा अनुपालन आख्या निर्धारित समयावधि के अन्दर प्राप्त न होने अथवा अनुपालन आख्या संतोषजनक नही पाये जाने की दशा में आपके उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 11.08.2023 के माध्यम से निर्गत सी0टी0ओ0 आदेश को रिवोक/खण्डित करने की कार्यवाही बिना किसी अन्य सूचना के किये जाने का उल्लेख किया गया था।

अग्रेतर सूचित करना है कि प्रभारी अधिकारी, आयोग, कलेक्ट्रेट, गाजीपुर के पत्र सं0 1552/आयोग/2023, दिनांक 21.08.2023 के साथ संलग्न मा0 उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग, लखनऊ के पत्र सं0 2860/24/32/2023, दिनांक 11.08.2023 के द्वारा श्री देवेश कुमार वर्मा, ग्राम-इचौली, पो0-टंडवा, तहसील-मोहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर की शिकायती प्रार्थना पत्र एवं आयुक्त महोदय, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के कार्यालय के इंडेक्स सं0 11990/वै0स0-23, दिनांक 04.09.2023 के माध्यम से प्राप्त कु0 भावना वर्मा, छात्रा विधि संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2023, जो आपके उद्योग मैसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम-इचौली, पो0-टड़वा, तहसील-मुहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर से संचालन से उत्पन्न वायु प्रदूषण के कारण पर्यावरण व जन-स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभाव से सम्बंधित है, में उल्लिखित तथ्यों की जाँच हेतु कार्यालय के ज्ञाप सं0 1500/कार्यालय ज्ञाप/23-24, दिनांक 06.09.2023 के द्वारा समिति गठित की गयी थी तथा प्रश्नगत शिकायती प्रकरण की स्थलीय जाँच कर स्पष्ट आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। अपर आयुक्त (न्यायिक), आयुक्त कार्यालय, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के पत्र सं0 2971/21-1(2018-2021) स्था0नि0स0-1, दिनांक 05.09.2023 द्वारा भी सुश्री भावना वर्मा के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2023 के संदर्भ में आपके उद्योग की स्थलीय जाँच कर आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रश्नगत शिकायती प्रार्थना पत्रों के संदर्भ में कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06.09.2023 के द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 08.09.2023 को शिकायती उद्योग का स्थलीय निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग में उत्पादन कार्य बन्द पाया गया तथा श्री कन्हैया गुप्ता, प्रोपराइटर, उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। उद्योग की जाँच आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किया गया तथा जाँच आख्या में निम्नलिखित प्रमुख तथ्यों का उल्लेख किया गया है:-

1. प्रश्नगत शिकायती उद्योग ग्राम-इचौली, पो0-टड़वा, तहसील-मुहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर में स्थापित है।
2. उद्योग में 160 के0वी0ए0 एवं 20 के0वी0ए0 क्षमता के डी0जी0 सेट्स स्थापित हैं। निरीक्षण के समय उक्त डी0जी0 सेट के एग्जॉस्ट पर संलग्न चिमनी की ऊँचाई बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नही पायी गयी। जबकि डी0जी0 सेट के एग्जॉस्ट पर संलग्न चिमनी की ऊँचाई बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप किये जाने हेतु सी0टी0ओ0 के विशिष्ट शर्त के बिन्दु सं0-10 पर निर्देश दिया गया था।
3. निरीक्षण के समय उद्योग के सटे उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित पोखरी में उद्योग से जनित राख को निस्तारित किया जा रहा था। जबकि सी0टी0ओ0 के विशिष्ट शर्त के बिन्दु सं0 08 में सॉलिड वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के कारण पोखरी की जल गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है।
4. निरीक्षण की तिथि तक पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन में उद्योग द्वारा पौधरोपण नही किया गया था तथा उद्योग परिसर की हाउस कीपिंग अत्यन्त खराब पायी गयी। उद्योग परिसर के अन्दर फर्श पर अत्यधिक मात्रा में राख के कण पाये गये। सर्वेक्षण के दौरान उद्योग के समीप स्थित कम्पोजिट विद्यालय, इचौली एवं समीप स्थित आबादी के मकान के छतों व जमीन पर अत्यधिक मात्रा में राख के कण पाये गये। इससे स्पष्ट है कि उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का सही ढंग से संचालन नही किया गया है/नही किया जा रहा है।

कृ0प0उ0

क्षेत्रीय कार्यालय : आवास विकास ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी-221010, दूरभाष : 0542-2275951, फैक्स : 0542-2275951
मुख्यालयः टी0सी0-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, दूरभाष : 0522-2720828, 2720681, 2720831, फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com वेबसाइट : www.uppcb.com

RO PC Dr SC Str

5. निरीक्षण के समय उद्योग स्थल को देखने से प्रतीत हुआ कि उरद आदि के स्प्रेशन हेतु पानी का छिड़काव उद्योग द्वारा नही किया जाता है।
6. निरीक्षण के समय उद्योग के समीप में स्थित पोखरी में बायलर ब्लो डाउन निस्तारित किया हुआ पाया गया। इससे स्पष्ट है कि उद्योग से जनित बायलर ब्लो डाउन को रिसाइकिल न कर निस्तारित किया जाता है। जबकि उद्योग को जारी सी0टी0ओ0 में शून्य उत्प्रवाह निस्तारण की शर्त आरोपित की गयी है।
7. निरीक्षण के समय गैसीय उत्सर्जन के नमूने के एकत्रण हेतु समुचित एवं सुरक्षित सैम्पलिंग प्लेटफार्म स्थापित नही पाया गया।
8. निरीक्षण के समय सी0टी0ओ0 आदेश दिनांक 11.08.2023 में आरोपित शर्तो के अधिकांश बिन्दुओ का अनुपालन नही पाया गया।
9. निरीक्षण के समय स्थानीय नागरिकों द्वारा मौखिक रूप से सूचित किया गया कि राइस मिल को रात में चलाया जाता है, जिसके कारण परिवेशीय ध्वनि स्तर निर्धारित मानको से अत्यधिक होने के कारण सोने में दिक्कत होती है तथा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों द्वारा बताया गया कि उद्योग द्वारा रात्रि में स्टीम को वेन्ट किये जाने के कारण ध्वनि स्तर की तीव्रता अत्यधिक हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य सम्बंधी परेशानी हो रही है। निरीक्षण के समय स्थानीय निवासियों में उद्योग के संचालन होने के प्रति आक्रोश पाया गया।
10. निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा फायर एण्ड सेफ्टी डिपार्टमेंट, भूगर्भ जल विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र/रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट का लाइसेंस, लेबर डिपार्टमेंट का लाइसेंस, बायलर लाइसेंस एवं अन्य सम्बंधित विभागों का लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगने के बावजूद उपलब्ध नही कराया गया।
11. निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित बोरवेल के आउटलेट पर जल के मापन हेतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर स्थापित नही पाया गया।
12. निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा गैसीय उत्सर्जन, परिवेशीय वायु गुणता एवं परिवेशीय ध्वनि स्तर की अनुश्रवण आख्या एन0ए0बी0एल0 एक्रिडेटेड प्रयोगशाला से कराकर प्रस्तुत नही किया गया।
13. जाँच के समय स्थल पर पाये गये तथ्यों एवं स्थानीय नागरिकों से दी गयी मौखिक सूचनानुसार उद्योग के विरुद्ध की गयी कथित शिकायत में उल्लिखित तथ्यों से इन्कार नही किया जा सकता है।

अग्रेतर सूचित करना है कि इस कार्यालय के पत्र सं0 1500/शिव शक्ति ट्रेडर्स/23-24, दिनांक 06.09.2023 द्वारा उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्र सं0 190546/UPPCB/Varanasi(UPPCB RO)CTO/Both/Ghazipur/2023, दिनांक 11.08.2023 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत उद्योग को सशर्त सी0टी0ओ0 आदेश में अधिरोपित शर्तो की विन्दुवार अनुपालन आख्या सुसंगत साक्ष्यो/दस्तावेजों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु अभी तक सी0टी0ओ0 आदेश की अनुपालन आख्या निर्धारित अवधि व्यतीत होने जाने के उपरांत भी प्राप्त नही हुआ है। उद्योग द्वारा सम्बंधित विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र इस कार्यालय को प्रेषित नही की गयी है। समिति की जाँच आख्या के अनुसार उद्योग से जनित राख का निस्तारण उद्योग के समीप स्थित तालाब में किया जा रहा है तथा उद्योग परिसर एवं नजदीक आबादी के क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में राख के कण पाये गये, जिससे स्पष्ट होता है कि उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन नही किया जा रहा है तथा उद्योग परिसर की हाउस कीपिंग भी अच्छी नही पायी गयी। उद्योग द्वारा सी0टी0ओ0 में अधिरोपित अधिकांश शर्तों का अनुपालन नही किया जा रहा है। उद्योग को जारी सी0टी0ओ0 में निर्देशित किया गया था कि 06 माह के अन्दर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उचित स्थल पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त कर स्थानांतरित किया जाये। मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6), उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र सं0 एच 99191/सी-6/सा-779/शिव शक्ति ट्रेडर्स/2023, दिनांक 10.08.2023 द्वारा भी आपको निर्देशित किया गया है कि उद्योग को अन्यत्र स्थल पर 06 माह के अन्दर स्थानांतरित किया जाये तथा नवीन स्थल पर बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही स्थल विकास एवं प्लांट मशीनरी की स्थापना की जाये। किन्तु इस दिशा में उद्योग द्वारा अभी तक कोई सार्थक पहल कर राज्य बोर्ड को सूचित नही किया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा गठित समिति द्वारा दी गयी संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम-इचौली, पो0-टड़वा, तहसील-मुहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर को राज्य बोर्ड के पत्र सं0 190546/UPPCB/Varanasi(UPPCB RO)CTO/Both/Ghazipur/2023, दिनांक 11.08.2023 द्वारा निर्गत सहमति (जल) आदेश को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-27(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में रिवोक/खण्डित तथा निर्गत सहमति (वायु) आदेश को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

(डॉ0 एस0सी0 शुक्ला) 18/9/23
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांक:-उपरोक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. विधि अधिकारी (प्रथम), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी 18/9/23

मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम-इचौली, पोस्ट-तड़वा, तहसील-मुहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर के विरूद्ध श्री देवेश कुमार वर्मा, निवासी-ग्राम-इचौली, पोस्ट-तड़वा, तहसील-मुहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर एवं कु0 भावना वर्मा, छात्रा विधि संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा की गयी प्रदूषण सम्बंधी शिकायत के सम्बंध कार्यालय ज्ञाप सं0 1500/कार्यालय ज्ञाप/23-24, दिनांक 06.09.2023 के द्वारा गठित समिति की जॉच आख्या।

प्रभारी अधिकारी आयोग, कलेक्ट्रेट, गाजीपुर के पत्र सं0 1552/आयोग/2023, दिनांक 21.08.2023 के साथ संलग्न मा0 उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग, लखनऊ के पत्र संख्या 2860/24/32/2023, दिनांक 11.08.2023 के द्वारा श्री देवेश कुमार वर्मा, निवासी- ग्राम-इचौली, पोस्ट-तड़वा, तहसील-मुहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर की शिकायती प्रार्थना पत्र एवं आयुक्त महोदय, वाराणसी मण्डल, वाराणसी कार्यालय के इन्डेक्स सं0 11990/वै0स0-23, दिनांक 04.09.2023 के माध्यम से प्राप्त कु0 भावना वर्मा, छात्रा विधि संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2023 जो मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम-इचौली, पोस्ट-तड़वा, तहसील-मुहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर से उत्पन्न वायु प्रदूषण के कारण पर्यावरण एवं जन-स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभाव से सम्बंधित है, के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप सं0 1500/कार्यालय ज्ञाप/23-24, दिनांक 06.09.2023 के द्वारा अधोहस्ताक्षरीगण की समिति गठित की गयी। उक्त सन्दर्भित शिकायती उद्योग का स्थलीय निरीक्षण/सर्वेक्षण अधोहस्तक्षरीगण द्वारा दिनांक 08.09.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग में उत्पादन कार्य बन्द पाया गया तथा श्री कन्हैया गुप्ता, प्रोपराइटर उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों, उद्योग प्रतिनिधि से हुई वार्ता एवं स्थानीय नागरिको से हुई वार्ता के आधार पर समिति की जॉच आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत शिकायती उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम-इचौली, पोस्ट-तड़वा, तहसील-मुहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर, ग्राम-इचौली, पो0-टड़वा, तहसील-मुहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर के आराजी सं0 129, 130, 131 एवं 132 पर स्थापित है।
2. उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में धान का प्रयोग करके स्टीम राईस का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की उत्पादन क्षमता 4.0 टन/घण्टा की है।
3. उक्त उद्योग में जल की आपूर्ति निजी बोरवेल द्वारा किया जाता है। उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजनार्थ एवं औद्योगिक प्रयोजन में ब्यायलर फीड में किया जाता है। घरेलू प्रयोजन के फलस्वरूप जनित होने वाले घरेलू बहिश्राव के शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की व्यवस्था स्थापित है। निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित बोरवेल पर जल मापक यंत्र स्थापित नही पाया गया।
4. उद्योग में 04 टन/घण्टा वाष्प जनन क्षमता एक अदद ब्यायलर स्थापित है। ब्यायलर में ईंधन के रूप में लगभग 03 कुन्तल/घण्टा धान की भूसी का प्रयोग किया जाता है। उद्योग में स्थापित ब्यायलर में ईंधन जलने के फलस्वरूप जनित फ्लू गैस के नियंत्रण हेतु साइक्लोन टाईप डस्ट कलेक्टर के साथ संलग्न भू-तल से लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है।
5. उद्योग में 160 के0वी0ए0 एवं 20 के0वी0ए0 क्षमता के डी0जी0 सेट्स स्थापित हैं। निरीक्षण के समय उक्त डी0जी0 सेट के एग्जॉस्ट पर संलग्न चिमनी की ऊँचाई बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप नही पायी गयी।
6. उद्योग से जनित राख को उद्योग के सटे उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित पोखरी में निस्तारित किया जा रहा था।
7. उद्योग द्वारा पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु उद्योग द्वारा पौधरोपड़ नही किया गया है।
8. निरीक्षण के समय उद्योग परिसर की हाउस कीपिंग अत्यन्त खराब पायी गयी। उद्योग परिसर के अन्दर फर्श पर अधिक मात्रा में राख के कण पाये गये। निरीक्षण/सर्वेक्षण के दौरान उद्योग के समीप में स्थित कम्पोजिट विद्यालय, इचौली एवं निकट में स्थित आबादी के मकान के छतों व जमीन पर अधिकांश मात्रा में राख के कण पाये गये।
9. उद्योग परिसर के अन्दर देखने से प्रतीत हुआ कि उद्योग में डस्ट आदि के स्प्रेशन हेतु पानी का छिड़काव नही किया जाता है।

10. निरीक्षण के समय उद्योग के समीप में स्थित पोखरी में ब्वायलर ब्लो डाउन निस्तारित किया हुआ पाया गया। इससे स्पष्ट है कि उद्योग से जनित ब्वायलर ब्लो डाउन को रिसाइकिल न कर निस्तारित किया जाता है।
11. उद्योग से जनित गैसीय उत्सर्जन के नमूने के एकत्रण हेतु समुचित एवं सुरक्षित व्यवस्था जैसे–सैम्पलिंग प्लेटफार्म स्थापित नही पाया गया।
12. निरीक्षण के समय स्थानीय नागरिकों द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि राइस मिल अधिकतर रात में चलाया जाता है। ध्वनि अत्यधिक होने के कारण सोने में दिक्कत होती है तथा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
13. निरीक्षण के समय स्थानीय निवासियों द्वारा यह भी बताया गया कि उद्योग द्वारा रात्रि में स्टीम को वेन्ट किये जाने के कारण ध्वनि स्तर की तीव्रता अत्यधिक हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य सम्बंधी परेशानी हो रही है। निरीक्षण के समय स्थानीय निवासियों में उद्योग के संचालन होने के प्रति आक्रोश पाया गया।
14. निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि से फायर एण्ड सेफ्टी डिपार्टमेंट, भूगर्भ जल विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र/रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट का लाइसेंस, लेबर डिपार्टमेंट का लाइसेंस, ब्वायलर लाइसेंस एवं अन्य सम्बंधित विभागों का लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया, किन्तु उपलब्ध नही कराया गया।
15. निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा गैसीय उत्सर्जन, परिवेशीय वायु गुणता एवं परिवेशीय ध्वनि स्तर की अनुश्रवण आख्या एन0ए0बी0एल0 एक्रिडेटेड प्रयोगशाला से कराकर प्रस्तुत नही किया गया।
16. जाँच के समय स्थल पर पाये गये तथ्यों एवं स्थानीय नागरिकों से दी गयी मौखिक सूचनानुसार उद्योग के विरूद्ध की गयी कथित शिकायत में उल्लिखित तथ्यों से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
17. निरीक्षण के समय राज्य बोर्ड के पत्र संख्या 190546/UPPCB/Varanasi(UPPCBRO) CTO/Both/Ghazipur2023, दिनांक 11.08.2023 के माध्यम से दिनांक 03.08.2023 से दिनांक–02.02.2024 तक की अवधि हेतु सशर्त जारी सहमति आदेश में अधिरोपित अधिकतर शर्तो का अनुपालन उद्योग द्वारा किया हुआ नही पाया गया।
18. उद्योग को जारी सी0टी0ओ0 में स्पष्ट उल्लेख है कि 06 माह के अन्दर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उचित स्थल पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त कर स्थानांतरित किया जाये। मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र सं0 एच 99191/सी–6/सा–779/शिव शक्ति ट्रेडर्स/2023, दिनांक 10.08.2023 द्वारा भी आपको निर्देशित किया गया है कि उद्योग को अन्यत्र स्थल पर 06 माह के अन्दर स्थानांतरित किया जाये तथा नवीन स्थल पर बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही स्थल विकास एवं प्लांट मशीनरी की स्थापना की जाये। किन्तु उद्योग को स्थानांतरित किये जाने की दिशा में उद्योग द्वारा अभी तक कोई सार्थक पहल कर राज्य बोर्ड को सूचित नही किया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम–इचौली, पो0–टड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर को राज्य बोर्ड के पत्र सं0 190546/UPPCB/Varanasi(UPPCB RO)CTO/Both/Ghazipur/2023, दिनांक 11.08.2023 द्वारा निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–27(2) के अन्तर्गत रिवोक/खण्डित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 (4) निरस्त किये जाने की संस्तुति की जाती है।

समिति की उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ, हस्ताक्षरार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

18-9-23	18/9/23	18-9-23	18/09/23
(एस0के0 पाण्डेय)	(रणजीत कुमार)	(राजनाथ चौधरी)	(सी0पी0 वर्मा)
प्रयोगशाला सहायक	अनुश्रवण सहायक	वैज्ञानिक सहायक	वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

18/9/23

Annexure-R2/2

मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टढ़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर द्वारा राज्य बोर्ड के उ0प्र0 ऑनलाईन कन्सेन्ट मैनेजमेन्ट एण्ड मॉनीटरिंग सिस्टम (यू0पी0ओ0सी0 एम0एम0एस0) पोर्टल पर किये गये ऑनलाइन सहमति (जल एवं वायु) आवेदन–पत्र क्रमांक 33424081 के सन्दर्भ में कार्यालय अभिलेखानुसार एवं निरीक्षण दिनांक 14.10.2025 की आख्या।

मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टढ़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर द्वारा राज्य बोर्ड के उ0प्र0 ऑनलाईन कन्सेन्ट मैनेजमेन्ट एण्ड मॉनीटरिंग सिस्टम (यू0पी0ओ0सी0एम0एम0एस0) पोर्टल पर किये गये ऑनलाइन सहमति (जल एवं वायु) आवेदन–पत्र क्रमांक 3342408 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा इकाई का स्थल निरीक्षण दिनांक 14.10.2025 को श्री किशन गुप्ता, उद्योग प्रतिनिधि के उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग बन्द पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार एवं किये गये निरीक्षण के आधार पर निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :–

1. उक्त उद्योग ग्राम–इचौली, पोस्ट–टढ़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर के आराजी संख्या 129, 130, 131 एव 132 पर स्थापित है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग द्वारा प्रथम बार दिनांक 02.01.2018 को जल अधिनियम, 1974 की धारा–25/26 एवं वायु अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत आनलाईन आवेदन किया गया था। आवेदन पत्र में पूर्ण सूचनाएं नहीं दिये जाने के कारण सहमति (जल एवं वायु) आवेदन पत्र दिनांक 01.02.2018 को निरस्त हुआ। पुनः उद्योग द्वारा दिनांक 31.03.2022 को सहमति प्राप्त करने हेतु आनलाईन आवेदन किया गया। आवेदन पत्र में पायी गयी कमियों के आधार पर दिनांक 13.04.2022 को निरस्त हुआ।

   कार्यालय अभिलेखानुसार पुनः उद्योग द्वारा दिनांक 06.02.2023 को सहमति प्राप्त करने हेतु आनलाईन आवेदन किया गया। आवेदन पत्र के संदर्भ में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा दिनांक 13.02.2023 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग में 4.0 टन/घंटा वाष्प जनन क्षमता का ब्वायलर स्थापित पाया गया तथा उद्योग द्वारा स्टीम राईस का उत्पादन किया जाता पाया गया। उद्योग में भू–प्रयोग प्रमाण पत्र, जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विवरण, सहमति शुल्क के सत्यापन हेतु ऑडिटेड बैलेसशीट, राख के डिस्पोजल की व्यवस्था एवं उद्योग की स्थापना के सम्बंध में सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण राज्य बोर्ड के पत्र संख्या 177047/UPPCB/Varanasi/UPPCBRO/CTO/both/GHAZIPUR/2023 दिनांक 03.03.2023 के द्वारा पुनः निरस्त हुआ।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग के प्रोपराईटर श्री कन्हैया गुप्ता द्वारा नोटरी सत्यापित शपथ–पत्र उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिनांक 31.07.2023 को प्रस्तुत किया गया (संलग्नक–01), जिसमें उल्लेख है कि उद्योग आराजी संख्या 129, 130, 131 एवं 132, ग्राम–इचौली, पो०–टढ़वा, तहसील मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर में वर्ष 2002 से स्थापित एवं संचालित है। उद्योग को तत्काल अन्यत्र स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है तथा उद्योग को एक वर्ष का अतिरिक्त समय संचालन हेतु प्रदान किया जाये। उक्त अवधि में उद्योग को स्थानांतरित करने हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उचित स्थल का चयन कर सम्बंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति प्राप्त कर प्रक्रिया पूरी कर सके। उद्योग का संचालन राज्य बोर्ड से वैघ सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त करने के उपरांत ही संचालित किया जायेगा।

   उद्योग से प्राप्त नोटराइज्ड शपथ–पत्र दिनांक 31.07.2023 को संलग्न करते हुए गुण–दोष के आधार पर बोर्ड मुख्यालय स्तर से निर्णय लिए जाने हेतु आख्या क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी के पत्र संख्या 1375/शिव शक्ति ट्रेडर्स/23–24, दिनांक 31.07.2023 के साथ संलग्नकर मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या एच 99191/सी–6/सा0–779/ शिव शक्ति ट्रेडर्स/2023, दिनांक 10.08.2023 (संलग्नक–02) के द्वारा

उद्योग को अन्यत्र स्थल पर 06 माह के अन्दर स्थानांतरित किये जाने का समय प्रदान किया गया तथा नवीन स्थल पर बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही स्थल विकास एवं प्लांट मशीनरी की स्थापना किये जाने का निर्देश दिया गया।

4. उद्योग द्वारा सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त करने हेतु दिनांक 03.08.2023 को आनलाईन आवेदन किया गया था। सहमति आवेदन पत्र के निस्तारण के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 24.07.2023 को एवं दिनांक 27.05.2023 को किया गया था। निरीक्षण आख्या में दिये गये तथ्यों तथा मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 10.08.2023 के माध्यम से दिये गये निर्देश के अनुपालन को प्रश्नगत् उद्योग को दिनांक 03.08.2023 से दिनांक 02.02.2024 तक की अवधि हेतु सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों के साथ सहमति (जल एवं वायु) राज्य बोर्ड के पत्र संख्या 190546/UPPCB/Varanasi/UPPCBRO/CTO/both/GHAZIPUR/2023 दिनांक 11.08.2023 के द्वारा निर्गत किया गया था **(संलग्नक–03)**।

5. अग्रेतर क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी के पत्र सं० 1508/शिव शक्ति ट्रेडर्स/23–24, दिनांक 06.09.2023 द्वारा उद्योग को राज्य बोर्ड के आनलाइन पत्र सं० 190546/UPPCB/Varanasi /UPPCB RO/CTO/Both/Ghazipur/2023, दिनांक 11.08.2023 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत्त उद्योग को सशर्त सी०टी०ओ० आदेश में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सुसंगत साक्ष्यो/दस्तावेजों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था तथा मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र सं० एच 99191/सी–6/सा–779/शिव शक्ति ट्रेडर्स/2023, दिनांक 10.08.2023 द्वारा भी आपको निर्देशित किया गया है कि उद्योग को अन्यत्र स्थल पर 06 माह के अन्दर स्थानांतरित किया जाये तथा नवीन स्थल पर बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही स्थल विकास एवं प्लांट मशीनरी की स्थापना की जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा दी गयी संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर को राज्य बोर्ड के आनलाइन पत्र सं० 190546/UPPCB/Varanasi /UPPCB RO/CTO/Both/Ghazipur/2023, दिनांक 11.08.2023 द्वारा निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–27 (2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी के पत्र संख्या 1557/सहमति/शिव शक्ति ट्रेडर्स/23–24, दिनांक 18.09.2023 द्वारा रिवोक/खण्डित किया गया **(संलग्नक–04)**। उद्योग को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (सी0टी0ई0) एवं वर्तमान में संचालन हेतु सहमति (सी0टी0ओ0) निर्गत नहीं है।

तदोपरांत क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी के पत्र संख्या 1601/सहमति/शिव शक्ति ट्रेडर्स/23–24, दिनांक 27.09.2023 द्वारा प्रश्नगत उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 ए के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6) को प्रेषित की गयी **(संलग्नक–05)**। उक्त संस्तुति के आधार पर प्रश्नगत उद्योग के विरूद्ध मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या एच 01468/ वृत्त–6/सा0–779/ गाजीपुर/2023, दिनांक 04.10.2023 के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि इस कार्यालय के पत्र संख्या 212/शिव शक्ति ट्रेडर्स/2023–24, दिनांक 30.03.2024 **(संलग्नक–06)** एवं बोर्ड मुख्यालय से गठित संयुक्त समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर राज्य बोर्ड के पत्र

संख्या 23724/सी–6/सा0–779/बंदी आदे/वाराणसी/2024, दिनांक 04.02.2025 (संलग्नक–07) द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है।

6. उद्योग के विरूद्ध राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेश का अनुपालन शुनिश्चित कराये जाने हेतु जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर के आदेश पत्रांक 2430/मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स/24–25, दिनांक 10.02.2025 (संलग्नक–08) द्वारा गठित संुयुक्त समिति द्वारा उद्योग बन्दी सुनिश्चित करने के दृष्टिगत दिनांक 20.02.2025 को उद्योग के प्रदूषण किये जाने वाले श्रोतों को सील किया गया।

7. इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) की धारा–28 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी/विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 शासन में अपील संख्या–16/2025 (कन्हैया गुप्ता बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ व अन्य) अपील की गयी। उक्त अपील संख्या–16/2025 अपीलीय प्राधिकारी/विशेष सचिव महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2025 के सुसंग अंश निम्नवत् है :–

"......13. उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति तथा विवेचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.03.2024 तथा पर्यावरण अभियन्ता, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 04.02.2025 में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तथा उपरोक्त आक्षेपित आदेश स्थिर रहने योग्य प्रतीत नहीं होते हैं।

14. अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.03.2024 (छायाप्रति संलग्न) तथा पर्यावरण अभियन्ता, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 04.02.2025 (छायाप्रति संलग्न) अपास्त/निरस्त किये जाते हैं। अपीलकर्ता की अपील स्वीकार की जाती है तथा क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी/उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण के सभी पक्षों पर ध्यान देते हुए सीसीए/सीटीओ के संबंध में निर्णय लिया जाए....."

8. मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित Appeal No. 57/2025 (IA No. 587/2025) Devesh Kumar Verma Versus Environment, Forest and Climate Change, Department (DOEFCC), Govt. of U.P. & Ors. में पारित आदेश दिनांक 04.09.2025 में निम्नवत् उल्लिखित है :–

".......1. By this Appeal filed under Section 18(1) read with Section 16 of the National Green Tribunal Act 2010. Appellant has challenged the appellate order dated 23.07.2025, whereby the appeal against the original order dated 04.02.2025 has been allowed.
2. There is a delay in filing this appeal, therefore, I.A. No. 587/2025 has been filed seeking condonation of the delay.
3. Issue notice of I.A. No. 587/2025 to the respondents. The appellant is directed to serve the respondents and file affidavit of service.
4. List on 24.11.2025.

9. अद्यतन निरीक्षण दिनांक 14.10.2025 के निरीक्षण में पाया गया कि उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में धान का प्रयोग करके स्टीम राईस का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की उत्पादन क्षमता 4.0 टन/घण्टा की है। परन्तु इकाई द्वारा प्रेषित सी0टी0ओ0 ओवदन पत्र क्रमांक 33424081 को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी लाल, नारंगी, हरी, नीली एवं सफेद श्रेणी के अन्तर्गत प्रवर्गीकृत उद्योगों की सूची में **हरी श्रेणी** के अन्तर्गत आच्छादित सूची में क्रम **संख्या–145.2** (Rice Millas- Raw rice mill (Without soking ans Steam/drier)/hullers) पर अंकित है, के अन्तर्गत

आवेदित किया गया है। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई द्वारा वर्तमान में केवल अरावा राईस का उत्पादन किया जायेगा।

10. कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग में जल की आपूर्ति निजी बोरवेल द्वारा किया जाता है। उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजनार्थ एवं औद्योगिक प्रयोजन में ब्वायलर फीड में किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि द्वारा भू-गर्भ जल के निष्कर्षण हेतु भू-गर्भ जल विभाग से अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

11. उद्योग में 04 टन/घण्टा वाष्प जनन क्षमता एक अदद ब्वायलर स्थापित है। ब्वायलर में ईंधन के रूप में लगभग 03 कुन्तल/घण्टा धान की भूसी का प्रयोग किया जाता है। उद्योग के ब्वायलर में ईंधन जलने के फलस्वरूप जनित फ्लू गैस के नियंत्रण हेतु साइक्लोन टाईप डस्ट कलेक्टर के साथ संलग्न भू-तल से लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई द्वारा केवल अरवा राईस का उत्पादन किया जायेगा। उद्योग में स्टीम जनरेश हेतु स्थापित ब्वायलर का संचालन नहीं किया जायेगा।

12. उद्योग स्थल के पूरब दिशा में सटे यूसुफपुर-कासिमाबाद रोड एवं लगभग 70 मीटर की दूरी पर कम्पोजिट विद्यालय, इचौली, शिक्षा क्षेत्र-मुहम्मदाबाद (स्थापना वर्ष 1971) स्थित है। उद्योग स्थल के पश्चिम दिशा में सटे श्री बीगन ठाकुर का मकान, तालाब एवं लगभग 50 मीटर की दूरी पर ग्राम-इचौली की आबादी स्थित है। उद्योग स्थल के उत्तर दिशा में सटे उद्योग स्वामी का आवासीय मकान एवं लगभग 50 मीटर की दूरी पर ग्राम-इचौली की आबादी स्थित है। उद्योग स्थल के दक्षिण दिशा में सटे लगभग 15 फीट की दूरी पर ग्रामीण रोड तत्पश्चात् ग्राम-इचौली की आबादी स्थित है। गूगल मैप संलग्न है **(संलग्नक-09)**।

औद्योगिक इकाईयों के स्थापना हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29.01.2025 के चैप्टर-3 ***"क्राइटेरिया फार इस्टैब्लिशमेन्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लाट"*** के 9बी के अन्तर्गत लाल, नारंगी तथा हरी श्रेणी के उद्योगों के स्थापना हेतु बस्ती, शैक्षणिक स्थान, पूजा स्थल, पुरातात्विक स्मारकों, राष्ट्रीय उद्यान, आरक्षित वन एवं हेरिटेज साईट से औद्योगिक इकाई की दूरी के मानक निर्धारित किये गये है, जिसके अनुसार (1) लाल श्रेणी के उद्योग-500 मीटर की दूरी से अधिक, (2) नारंगी श्रेणी के उद्योग-200 मीटर की दूरी से अधिक तथा (3) हरी श्रेणी के उद्योग-100 मीटर की दूरी से अधिक के मानक निर्धारित है**(संलग्नक-10)**।

13. इकाई द्वारा आवेदन पत्र के साथ सहमति शुल्क के मद में रू0 16000 मात्र का भुगतान किया गया है।

14. कार्यालय अभिलेखानुसार संदर्भित उद्योग सी0टी0ओ0 के निस्तारण हेतु निम्नलिखित अन्य बिन्दुओं को संज्ञान में लिया जाना उचित होगा।

- उद्योग स्थल के पूरब दिशा में लगभग 70 मीटर की दूरी पर स्थित कम्पोजिट विद्यालय, इचौली, शिक्षा क्षेत्र-मुहम्मदाबाद के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी के पत्र संख्या 1326/शिव शक्ति ट्रेडर्स/23-24, दिनांक 19.07.2023 के द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर से प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना वर्ष के सम्बंध में सूचना मांगी गयी। उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में प्रभारी प्रधानाध्यापक, कम्पोजिट विद्यालय, इचौली के पत्र दिनांक 24.07.2023 के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी को अवगत कराया गया कि प्राथमिक विद्यालय, इचौली वर्ष 1950 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय वर्ष 1971 से स्थापित एवं संचालित है। विद्यालय की स्थापना के पश्चात् प्रश्नगत् राईस मिल की स्थापना की गयी है।

- उद्योग द्वारा 1430 फसली खसरा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें 1430 फसली के अनुसार खसरा संख्या 129, 130, 131 एवं 132 की भूमि की श्रेणी पर राईस मिल अंकित है। उद्योग द्वारा भू-प्रयोग सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, जो राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी स्तर से निर्गत हो, उपलब्ध नहीं कराया गया है। भू-प्रयोग सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना उचित होगा।
- उद्योग द्वारा वर्ष 2002-03 का राईस मिल का रसीद दिनांक 01.07.2002 प्रस्तुत किया गया है, जो सर्वचन्द शाह, ग्राम-इचौली राईस मिल के नाम जारी है। उद्योग द्वारा कृषि उत्पादन मण्डी समिति, युसूफपुर, गाजीपुर द्वारा दिनांक 30.06.2011 प्रस्तुत किया गया है, जो शान्ती मिनी राईस मिल, इचौली के नाम जारी है तथा लाईसेंसधारी का नाम श्रीमती रामेश्वरी देवी अंकित है। प्रश्नगत उद्योग वर्तमान में मेसर्स शिवशक्ति ट्रेडर्स के नाम से स्थापित है।

अग्रेतर मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में Appeal No. 57/2025 (IA No. 587/2025) Devesh Kumar Verma Versus Environment, Forest and Climate Change, Department (DOEFCC), Govt. of U.P. & Ors. योजित की गयी है, उक्त अपील के अन्तर्गत उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत अपील आदेश दिनांक 23.07.2025 के विरूद्ध की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है तथा सुनवाई की अग्रिम तिथि 24.11.2025 नियत है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित Appeal No. 57/2025 (IA No. 587/2025) Devesh Kumar Verma Versus Environment, Forest and Climate Change, Department (DOEFCC), Govt. of U.P. & Ors. का संज्ञान लेते हुए प्रश्नगत उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम-इचौली, पोस्ट-टड़वा, तहसील-मुहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर के ऑनलाइन सहमति (जल एवं वायु) आवेदन-पत्र क्रमांक 33424081 पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है। अतः संदर्भित इकाई के सी0टी0ओ0 आवेदन पत्र को मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित वाद/अपील के दृष्टिगत लम्बित रखे जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

28/10/2025 (कशिश कनौजिया) अवर अभियन्ता	29.10.25 (राजनाथ चौधरी) वैज्ञानिक सहायक	29/10/25 (सी0पी0 वर्मा) वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

Annexure-R2/3

I	मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर।
A.	पूरब दिशा में सटे (अ) यूसुफपुर–कासिमाबाद रोड एवं लगभग 70 मीटर की दूरी पर कम्पोजिट विद्यालय, इचौली, शिक्षा क्षेत्र–मुहम्मदाबाद (स्थापना वर्ष 1971) स्थित है।
B.	उद्योग स्थल के पश्चिम दिशा में सटे श्री बीगन ठाकुर का मकान, (ब) तालाब एवं लगभग 50 मीटर की दूरी पर (स) ग्राम–इचौली की आबादी स्थित है।
D.	उद्योग स्थल के उत्तर दिशा में लगभग 50 मीटर की दूरी पर ग्राम–इचौली की आबादी स्थित है।
E.	उद्योग स्थल के दक्षिण दिशा में सटे लगभग 15 फीट की दूरी पर ग्रामीण रोड तत्पश्चात् ग्राम–इचौली की आबादी स्थित है।

Lattitude - 25.653578, Longitude - 83.737055

2026:AHC:5294-DB

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - C No. - 124 of 2026

M/S Shiv Shakti Traders And Another

.....Petitioner(s)

Versus

State Of U.P. And 2 Others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Akshay Pratap, Chandan Sharma
Counsel for Respondent(s)	:	C.S.C., Somya Chaturvedi

Court No. - 29

HON'BLE MAHESH CHANDRA TRIPATHI, J.
HON'BLE KUNAL RAVI SINGH, J.

1. Heard Shri Akshay Pratap, learned counsel for the petitioners, Ms. Uttara Bahuguna, learned Additional Chief Standing Counsel for the State-respondents and Ms. Somya Chaturvedi, learned counsel for the respondent Nos.2 and 3 - U.P. Pollution Control Board.

2. This writ petition has been filed praying *inter alia* for the following relief:

> *"a) Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus commanding upon the respondent no.3 to take final decision on the petitioner's online No.33424081 (Annexure - '9' to this writ petition) expeditiously within stipulated time as directed by this Hon'ble Court;"*

3. Learned counsel for the petitioners vehemently submits that the petitioners had earlier approached this Court by filing Writ-C No. 6777 of 2024 (M/s Shiv Shakti Traders and Another v. State of U.P. and Another), which was disposed of on 01.04.2025, relegating the matter to the appellate forum. Pursuant thereto, the petitioners preferred an appeal under Section 28 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 read with Section 31 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 against the order dated 04.02.2025 passed by the Environment Engineer, U.P. Pollution Control Board, T.C.12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, as well as the order dated 30.03.2024

passed by the Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Varanasi Region, Varanasi. The competent appellate authority, namely the Special Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh, Lucknow, after considering the facts and law involved, allowed the appeal vide order dated 23.07.2025, directing the Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Varanasi, and the U.P. Pollution Control Board, Lucknow, to pass an appropriate order after considering the facts of the case with respect to the Consent to Operate (C.T.O.). In compliance with the aforesaid order dated 23.07.2025, the petitioners submitted the aforesaid online application No.33424081 before the Member Secretary, U.P. State Pollution Control Board.

4. Learned counsel for the petitioners further submits that the aforesaid online application of the petitioners is required to be decided in the light of the regulations framed by the Central Pollution Control Board in January, 2025, titled as "Classification of Sectors into Red, Orange, Green, White and Blue Categories (A Tool for Progressive Environmental Management)."

5. Considering the factual situation and the relief prayed for, and without entering into the merits of the case, we find it appropriate that the application of the petitioners be considered in accordance with the relevant rules and regulations, expeditiously and preferably within a period of three weeks from the date of production of a certified copy of this order.

6. In view of the aforesaid, the writ petition stands disposed of.

(Kunal Ravi Singh,J.) **(Mahesh Chandra Tripathi,J.)**

January 8, 2026
NLY

Digitally signed by :-
NAND LAL YADAV
High Court of Judicature at Allahabad

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building.No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010
Telephone: +91-522-2720831, 2720681, 2720691 (Fax): +91-522-2720764

Application Id : 33424081
Dated : 20/01/2026

Category : GREEN
Ref No. - 248720/UPPCB/Varanasi(UPPCBRO)/CTO/both/GHAZIPUR/2025

To ,

M/S KANHAIYA GUPTA
SHIV SHAKTI TRADERS
ARAZI NO 129,130,131,132, VILLAGE ICHAULI, POST TANDAWA, TEHSIL MUHAMMDABAD, DISTRICT GHAZIPUR,GHAZIPUR,233227
GHAZIPUR

Sub : **Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundry Movement) Rules , 2016.**

Kindly refer to your Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) application dated 22/09/2025 and received on 22/09/2025under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundry Movement) Rules, 2016. Your application and the information submitted by you have been examined and your consent application is hereby refused due to following reason.

Reasons :-

The aforesaid industry was inspected by Board officials on date 14.10.2025 and inspection report forwarded to Head Office for remain pending due to Appeal No. 57/2025 (IA No. 587/2025) Devesh Kumar Verma Versus Environment, Forest and Climate Change, Department (DOEFCC), Govt. of U.P. & Ors. pending before Hon'ble NGT vide letter no. 841/M/s Shiv Shakti Tredars/25-26, dated 29.10.2025. As per inspection report dated 14.10.2025 and office record, CTO application refused due to following reasons-

1. As per inspection and office record, industry have been installed boiler of capacity 4.0 TPH due to which industry identified under orange category bu online application applied under green category.
2. As per inspection and office record, composite school is situated at distance 70 meter, residential house and pond situated at distance 50 meters from the said industry. Which is not as per the criteria guideline notification issued by MoEFCC on dated 29.01.2025.
3. As per inspection and office record, industry has not complied conditions imposed through CTO order dated 11.08.2023
4. As per inspection and office record, complain received against said industry regarding environmental

ies.

5. As per inspection and office record, Appeal No. 57/2025 (IA No. 587/2025) Devesh Kumar Verma Versus Environment, Forest and Climate Change, Department (DOEFCC), Govt. of U.P. & Ors. pending before Hon'ble NGT and list on 16.02.2026. So this refference refusal CTO order will be subject to the order passed by the Hon'ble NGT on future date.

The Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended. under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundry Movement) Rules , 2016 is hereby refused. Further, you are hereby informed to comply with the mandatory provisions of Water Act 1974, Air Act 1981 and HWM Rules 2016

This order is issued with the approval of competent authority.

ROHIT SINGH
Digitally signed by ROHIT SINGH
Date: 2026.01.20 22:11:33 +05'30'

(Authorized Signatory)

Rohit Singh
Regional Officer

Copy To -

Chief Environmental Officer (Circle-6), U.P. Pollution Control Board, T.C. 12V, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow for information please.

ROHIT SINGH
Digitally signed by ROHIT SINGH
Date: 2026.01.20 22:11:45 +05'30'

Rohit Singh
Regional Officer
(Authorized Signatory)